

फर्द अहकाम

कांडा

बनाम खालसा कप

न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

स्य चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 85/2024

विशेष विवरण

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
		<p>तलबी हेतु दिनांक 8/11/24 को पेश हो/ फुलरप: मूकवाद से अप्रार्थी संख्या 4 अंगा. 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अप्रल में लई जा चुकी है अवे: उमर 570 पत्र में श्री अप्रार्थी संख्या 4 अंगा. 7 एकपक्षीय कार्यवाही अप्रल में लई जा चुकी है पत्रावली वास्ते जवाब FI अप्रार्थी संख्या 1 अंगा. 3 हेतु दिनांक 8/11/24 को पेश हो।</p>	
	8/11/24	<p>बनावली पेश हुई/P.O. साहब दोरे/अध्यक्ष वरिष्ठ वरिष्ठ द्वारा कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सके। पत्रावली आगामी दिनांक...29/11/24... को पेश हो।</p>	
	29/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई/मार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा 3 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगा 3 के अधिवक्ता ने जवाब न देकर कीर्त बंद करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अल्पायी निषेधाज्ञा पर बंद हो चुकी गई।</p> <p>पत्रावली पूर उपलब्ध रिपोर्ट का</p>	

8

फर्द अहकाम

काना बनाम रामलक्ष्मण

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 85/2024

विशेष

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

अवलोकन करने एवं अभ्यपक्ष अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस जादिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित लगभग छह विवादित झारजी खजरा नं. 84/57 स्थित ग्राम गंगारामपुरा प. ह. बराला सू. अ. नि. सांभरिया तह. बस्सी जि. जयपुर के लक्ष्मण ने अभ्यपक्ष को जरिद्वे अस्थायी निषेधज्ञा देवाकर किया जाता है कि अभ्यपक्ष उक्त विवादित झारजी पर ताकेसल वाद के मोर्चे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फंसल सुमार बकर
वाद तकमील दाखिल दाखल हो

29/11/24